संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

आदेश क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 462 भोपाल दिनांक 16.04.2020

प्रति,

1 **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
मध्यप्रदेश

2 **समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक**
मध्यप्रदेश ।

विषयः कोविड-19 के संदिग्ध / पुष्ट प्रकारणों में मृत्यु होनें पर मृतक के शव प्रबंधन एवं निपटान संबन्धी दिशा निर्देश के संबन्ध मे।

उपरोक्त विषयानुसार पूर्व में आपको विस्तृत निर्देश जारी किये गए थे जिसे पुनः दिनाँक 10 अप्रैल 2020 को दोहराया गया था | इसके बावजूद यह देखने में आ रहा है की निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है तथा संदिग्ध प्रकरणों के शवों को अनावश्यक रूप से लेबोरेटरी रिपोर्ट की प्राप्ति तक मोरचरी में रखा जा रहा है जो की उचित नहीं है |अतः संदिग्ध प्रकरणों का शव प्रबंधन एवं निपटान पुष्ट प्रकरणों हेतु दिशानिर्देश अनुसार ही किया जाना है |

अतः पुनः उक्त दिशानिर्देश आपकी और भिजवाए जा रहे हैं, यदि भविष्य में दिशानिर्देश उल्लंघन की सुचना प्राप्त होती है तो अनुशासनत्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी |

आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र. / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 463 भोपाल दिनांक 16.04.2020

प्रतिलिपि –

1 अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मध्यप्रदेश |
2 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन एवं गैस राहत एवं पुर्नवास विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश |
3 समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश |

आयुक्त
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

Scanned with CamS

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1603 भोपाल, दिनांक 10/04/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
4. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.।

विषय– कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव का प्रबंधन एवं निपटान संबंधी दिशा निर्देश।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत कृपया संलग्न पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। जिसमें कोविड–19 के संदिग्ध अथवा पुष्ट प्रकरण में मृत्यु की स्थिति में शव का प्रबंधन व निपटान कैसे किया जाए के संबंध में निर्देश जारी किए गए है।

निर्देशित किया जाता है कि कृपया कोविड–19 के प्रकरणों में मृत्यु होने की दशा में शव का प्रबंधन व निपटान संलग्न पत्र अनुसार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न–पत्र की छायाप्रति

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0 क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1604 भोपाल, दिनांक 10/04/2020

प्रतिलिपि – सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र.।
3. समस्त कलेक्टर, म.प्र.।
4. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., म.प्र.।

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

Scanned by CamScanner

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
भोपाल, मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–7/2020/ भोपाल, दिनांक /03/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
3. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।
4. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने पर मृतक के शव का प्रबंधन एवं निपटान संबंधी दिशा निर्देश।

संदर्भः– भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, डी.ज.एच.एस. (ई.एम.आर. डिवीजन) द्वारा जारी मार्गदर्शिका दिनांक 15/03/2020।

विषयांतर्गत लेख है कि भारत में कोविड–19 को जन स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। वर्तमान में देश में 100 से अधिक प्रयोगशाला द्वारा पुष्ट कोविड–19 के प्रकरण हैं एवं दिनांक 18/03/2020 की स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण से देश में 3 मृत्यु होने की आधिकारिक पुष्टि हुई है। भारत वर्ष में वर्तमान में भ्रमण इतिहास वाले कुछ प्रकरणों तथा Local Transmission या स्थानीय प्रसार वाले कुछ प्रकरणों की पुष्टि हुई है एवं समस्त संदिग्ध एवं पुष्ट प्रकरणों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर Isolation करने के निर्देश दिये गये है। चूंकि, **नोवेल कोरोना वायरस एक नवीन विषाणु है एतएव, कोविड–19 के संदिग्ध/पुष्ट प्रकरण में मृत्यु होने की स्थिति में शव प्रबंधन एवं निपटान संबंधी जानकारी का अभाव होने के कारण भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिदृश्य एवं जानकारी के आधार पर कोविड–19 के संक्रमित/संदिग्ध प्रकरणों में मृत्यु उपरान्त शव प्रबंधन एवं निपटान हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये है।**

निर्देशित किया जाता है किः–

- कोविड–19 के संक्रमित संदिग्धों एवं पुष्ट प्रकरणों की मृत्यु उपरान्त शव के प्रबंधन के दौरान स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मानक सावधानियाँ बरती जाये।
- संक्रमण की रोकथाम हेतु निर्धारित मानक निम्न व्यवहारों का अनुपालन सर्वथा किया जायेः–
  1. हाथों की स्वच्छता
  2. व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री का उपयोग (उदाहरणार्थ– एप्रन, ग्लव्स, मास्क, चश्मा आदि)
  3. 'शार्प'/धारदार उपकरणों का सुरक्षित प्रबंधन
  4. शव के लिए उपयोग किये गये समस्त उपकरण, यंत्र, बिस्तर, गद्दे, चादर, तकिया, तकिया–गिलाफ, सतहों आदि का विषाणुमुक्ति
- **शव प्रबंधन कर्मीयों का संक्रमण रोकथाम व्यवहारों पर प्रशिक्षण**– शव प्रबंधन हेतु कार्यरत कर्मचारी, संपर्क में आने वाले समस्त पैरामेडिकल स्टाफ जो आईसोलेशन वॉर्ड, मार्चुयरी, एम्बुलेन्स के संचालन हेतु कार्यरत हो तथा शमशान घाट/कब्रिस्तान के कर्मीयों को संक्रमण नियंत्रण संबंधी मानक व्यवहारों पर प्रशिक्षित किया जाये।
- शव प्रबंधन हेतु उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रदाता द्वारा हाथों की स्वच्छता सुनिश्चित की जाये एवं Personal Protective Equipment-PPE जैसे एप्रन, ग्लव्स, एन–95 मास्क, चश्मा आदि का उपयोग कियाज जाये।
- शव में लगी समस्त नलियाँ निकाली जाये एवं पंक्चर स्थानों की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराईट द्वारा किया जाये।
- मुख, नाक के छिद्रों को कॉटन से प्लग किया जाये ताकि शारीरिक स्राव को नियंत्रित किया जा सके।
- शव के बाहरी सतह को 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से विषाणुमुक्त किया जाये तथा शव को रिसाव रोधी प्लास्टिक शव बैग में रख कर परिजनों को सौपा जाये अथवा मॉर्चुयरी में अंतरित किया जाये।
- समस्त उपयोग किये गये लीनेन को बायोहेजार्ड बैग में भरा जाये तथा बैग के बाहरी सतह की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।

Scanned by CamScanner

संक्रमण नियंत्रण मापदण्डों का पालन करते हुए समस्त उपकरणों की विषाणुमुक्ति ऑटोक्लेव अथवा निर्धारित डिस्इनफेक्टेन्ट सॉल्युशन का उपयोग कर सुनिश्चित किया जाये। समस्त मेडिकल अपशिष्टों का प्रबंधन बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

- शव प्रबंधन स्वास्थ्य कर्मीयों द्वारा Personal Protective Equipment-PPE को उतारने के उपरान्त हाथों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
- **सतहों की विषाणुमुक्ति–** आईसोलेशन वॉर्ड के समस्त सतह जैसे फर्श, बिस्तर, रेलिंग, साइड टेबल, आई–वी स्टेंड आदि को 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से पोंछा जाये, 30 मिनट की संपर्क अवधि सुनिश्चित कर हवा में सूखने दिया जाये।
- **मॉर्चुयरी में शव प्रबंधन–** शीतकक्ष में शव का संधारण लगभग 4°C पर सुनिश्चित किया जाये। मॉर्चुयरी को साफ रखा जाये एवं समस्त सतहों, उपकरणों, परिवहन ट्रॉली/स्ट्रेचर आदि की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये तथा शव को हटाने के उपरान्त फर्श, दरवाजे के हैन्डल आदि को 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से पोंछा जाये।
- **कोविड–19 संक्रमित शवों का पोस्टमॉर्टम–** सामान्य स्थिति में पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता नहीं है। विशेष परिस्थितियों में पोस्टमॉर्टम की आवश्यकता होने पर सीमित फोरेन्सिक विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षत सपोर्ट स्टाफ द्वारा Personal Protective Equipment-PPE उपयोग करते हुए पोस्टमॉर्टम सुनिश्चित किया जाये। संक्रमण नियंत्रण हेतु समस्त सावधानियाँ बरती जाये एवं पोस्टमॉर्टम उपरान्त ओटोप्सीटेबल की विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।
- **शव परिवहन–** यदि शव के परिवहन के दौरान रिसाव–रोधी बॉडीबैग का उपयोग किया जाता है जिसकी बाहरी सतह की विषाणुमुक्ति सुनिश्चित की गई हो, तो परिवहन कर्मीयों को कोई अतिरिक्त जोखिम नहीं होता। परन्तु शव के संपर्क में आने वाले समस्त कर्मीयों द्वारा संक्रमण नियंत्रण संबंधी समस्त प्रोटोकॉल का पालन एवं सावधानी बरती जाये। परिवहन उपरान्त शव वाहन का विषाणुमुक्ति 1% हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन से सुनिश्चित किया जाये।
- **शमशान घाट/कब्रिस्तान में शव प्रबंधन हेतु निर्देश–** समस्त मैदानी कर्मीयों द्वारा कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु हाथों की स्वच्छता, मास्क तथा ग्लव्स का उपयोग किया जाये। परिजनों को शव के अंतिम दर्शन करने दिया जाये परन्तु छूने, चूमने, नहलाने आदि से रोका जाये। ऐसे धार्मिक परम्परायें जिनमें शव को छूने की आवश्यकता नहीं हो उसके लिए परिजनों को अनुमति दी जाये। शव के अंतिम संस्कार/दफनाने के बाद मैदानी कर्मीयों तथा परिजनों द्वारा अच्छे से हाथों की सफाई सुनिश्चित की जाये।
- शव दाह के उपरान्त राख का संग्रहण बिना किसी खतरे के किया जा सकता है।

शमशान घाट/कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में सामूहिक जमाव को नियंत्रित किया जाये एवं Social Distancing के उपाय सुनिश्चित की जाये।

आयुक्त स्वास्थ्य, म.प्र द्वारा अनुमोदित

संलग्न– भारत सरकार के शव प्रबंधन संबंधी दिशा निर्देश

संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/अस्प.प्रशा./सेल–7/2020/ भोपाल, दिनांक /03/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम, म.प्र।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
5. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम, म.प्र।

संयुक्त संचालक, अस्पताल प्रशासन
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

Scanned by CamScanner